कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10631/2018 इन्द्र कुमार मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए हैं।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उसका चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 विषय संस्कृत में वरीयता क्रमांक 2354 पर चयन हुआ। नियुक्ति हेतु अजमेर मण्डल आवंटित किए जाने के पश्चात् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (पूर्व में उपनिदेशक), अजमेर संभाग, अजमेर द्वारा कार्यग्रहण के समय पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र में अपराध के तहत प्रकरण अन्वीक्षाधीन अंकित होने के कारण आंवटित विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है अतः याचिकार्थी ने नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्यग्रहण करवाने की मांग की है।

अभ्यावेदन में की गई मांग के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। याचिकार्थी का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा–2016 विषय संस्कृत में वरीयता क्रमांक 2354 पर किया गया। मण्डल आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 04.03.2018 की पालना में विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार पर अजमेर संभाग नियुक्ति हेतु आवंटित किया गया एवं संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (पूर्व में उपनिदेशक), अजमेर संभाग, अजमेर के आदेश दिनांक 27.09.2018 के द्वारा उसे राउमावि लछूड़ा, अजमेर में पदस्थापित किया गया। कार्यग्रहण के समय सदाचरण के संबंध में कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 02.10.2018 प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि याचिकार्थी के विरूद्ध महिला थाना, सवाईमाधोपुर में याचिकार्थी पर प्रकरण संख्या 16/2016 धारा 406, 498ए (आईपीसी 1860) एवं प्रकरण संख्या 31/2016 धारा 452,354,509 (आईपीसी) में पंजीबद्ध होकर न्यायालय में अपराध के तहत प्रकरण अन्वीक्षाधीन है।

प्रकरण में प्रस्तुत पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, एवं अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि याचिकार्थी के विरूद्ध जिन अपराधों के संबंध में आपराधिक प्रकरण लम्बित है, वे अपराध नैतिक अद्यमता की श्रेणी में आते हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र प. 1(1)कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 को जारी दिशा–निर्देशों में **"गंभीर प्रकृति के प्रकरणों को लेखाबद्ध किया गया है जिसके अन्तर्गत किये** भी अभ्यर्थी के विरूद्ध **इन प्रकृति/धाराओं** में आपराधिक प्रकरण **अन्वेक्षाधीन/न्यायालय में विचाराधीन है अथवा दोषसिद्धि उपरांत** संज्ञा हो चुकी है, तो **उसे राज्य के अधीन** सेवाओं/पदों पर नि**युक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिए"**, अंकित है। याचिकार्थी के विरूद्ध पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में प्रकरण संख्या 16/2016 में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 498ए (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार–दहेज) न्यायालय में अपराध के तहत प्रकरण अन्वीक्षाधीन दर्शाया गया है। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में चरित्र के संबंध में वर्णित नियम–18 के प्रावधानानुसार किसी कार्मिक का चरित्र हिंसा के अपराध से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अध्यापक सशक्त चरित्र का होना आवश्यक है क्योंकि अध्यापक द्वारा छात्रों के भविष्य का निर्माण किया जाता है तथा अध्यापक का स्वयं का चरित्र छात्र पर गहरा प्रभाव डालता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार (1996 (11) CC 605) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात्** वास्तविक परिणाम इतना **सुसंगत नहीं है** जितना कि अभ्यर्थी का आ**चरण व चरित्र।"**

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग, अजमेर के पत्रांक सनि/स्कूल शि./अज/संस्था–4/फा–नियु0वअ./2016/2021/1821 दिनांकः 23.11.2021 द्वारा याचिकार्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा चुका है। याचिकार्थी के चरित्र/पुलिस सत्यापन के सम्बन्ध में नियुक्ति के समय राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ), सेवा नियम 2021 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र प.1(1)कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वर्णित अपराधों के अधीन न्यायालय में विचारण लम्बित होने के आधार पर याचिकार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं है।

उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के/जय/13217/2018 दिनांक 27.07.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
2 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जयपुर।
3 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जय/निर्णय/29836/एन/18 दिनांक 12.07.2022 के क्रम में।
4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5 संबंधित याचिकार्थी इन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री सियाराम मीणा, प्लॉट नं0 107 आर.के.पुरम, श्योपुर प्रताप नगर के नजदीक, सांगानेर, जिला जयपुर **(रजिस्टर्ड)**
6 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान